



2026:AHC:127959

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20115 / 2026

शिव शंकर मिश्र

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : पवन कुमार
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र वाद अपराध संख्या 252 वर्ष 2025, धारा 420, 467, 468, 471 एवं 411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-अमरिया, जनपद-पीलीभीत के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक को झूठा फँसाया गया है तथा उसका कथित अपराध से कोई सरोकार नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् कमलेश कुमार, मोहम्मद मोहसिन एवं रमा यादव को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 12491 वर्ष 2026, 13277 वर्ष 2026 एवं 9384 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 06.05.2026 के आदेशों के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के आपराधिक इतिहास का समुचित स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना-पत्र के अनुच्छेद संख्या 25 में दिया गया है तथा वह दिनांक 16.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने के निवेदन का विरोध किया, तथापि वह इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् कमलेश कुमार, मोहम्मद मोहसिन एवं रमा यादव को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्तगण, अर्थात् कमलेश कुमार, मोहम्मद मोहसिन एवं रमा यादव को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही स्थगित किया गया है, और यह भी कि आवेदक दिनांक 16.02.2026 से निरन्तर कारागार में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

7. परिणामस्वरूप, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में अभियुक्त शिव शंकर मिश्र को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।

(i) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं चाहेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-क अथवा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269 के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और उद्घोषणा में निर्दिष्ट तिथि पर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-क अथवा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित अवसरों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— 1. वाद के प्रारंभ के समय; 2. आरोप निर्धारण के समय; तथा 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसका कथन अभिलिखित किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी अनुपस्थिति को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों के साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।